GM(J)

Pchg
15-10-2019

**मध्यप्रदेश शासन**

**औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग**

**:: आदेश ::**

**भोपाल दिनांक** 14 **/10/2019**

JE

क्र. एफ 16-22/2019/ए-ग्यारह::राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स रॉलसन (इंडिया) लि. द्वारा स्मार्ट इंडस्ट्रीयल पार्क पीथमपुर जिला धार में लगभग रू. 1788.50 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से रेडियल टायर निर्माण इकाई स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर निम्नानुसार सुविधाएँ दी जावे:-

1. **भूमि आवंटन:-** कंपनी को स्मार्ट इंडस्ट्रीयल पार्क पीथमपुर में 100 एकड़ भूमि प्रचलित प्रीमियम के 25 प्रतिशत की दर पर आवंटित की जावे। भूमि हेतु देय राशि 4 समान वार्षिक किश्तों में प्राप्त की जावे।
2. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2018) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, परियोजना अन्तर्गत प्रथम चरण में किये जाने वाले भवन, प्लांट एवं मशीनरी पर 40% की समान दर से शर्तों के अध्याधीन। योजना अनुसार रोजगार एवं निर्यात गणक का लाभ पृथक से प्राप्त होगा। परियोजना के शेष चरणों हेतु सहायता का निर्धारण प्रथम चरण के क्रियान्वयन के पश्चात किया जावेगा।
3. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - रू. 5 प्रति यूनिट की स्थिर दर से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की दिनांक से 7 वर्षों हेतु विद्युत उपलब्ध करायी जावे। संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी देयक की शेष राशि (यदि कोई हो तो) एम.पी.आई.डी.सी. से प्राप्त कर सकेगी।
4. **विद्युत शुल्क से छूट** - 10 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट दी जाती है।
5. **स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति** - लीज भूमि पर देय स्टांप शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा की जायेगी।
6. **स्किल डेव्हलपमेंट प्रतिपूर्ति :-** तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा इकाई में रोजगार प्राप्त मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को National Skills Qualifications Framework (NSQF) एलाइन्ड पाठयक्रमों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।
7. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
8. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 4 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करना आवश्यक होगा।
9. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से**

**तथा आदेशानुसार**

( डॉ. राजेश राजौरा ) 14/X/19

**प्रमुख सचिव**

**मध्यप्रदेश शासन**

**औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग**

**निरंतर .....**

भोपाल, दिनांक 14/10/2019

पृ.क्र. एफ एफ 16-22/2019/ए-ग्यारह

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/श्रम विभाग/ वाणिज्यिक कर विभाग/तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग/नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक,एम.पी.आई.डी.सी. लि., भोपाल।
4. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर ।
5. कलेक्टर, जिला धार
6. श्री संजीव पहवा, सीएमडी, मे. रालसन (इण्डिया) लि. जी.टी. रोड, धान्दरी कलॉ, लुधियाना- 141003 (पंजाब)

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग